effect from 14th November, 1985, which *inter alia*, provides for stringent punishment for drug trafficking offences.

Preventive detention under COFEPOSA Act is also resorted to in appropriate cases.

Trust money of IBM

2242. SHRI BHAGATRAM MANHAR: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the US multinational, IBM was allowed to set up a Superannuation Scheme Trust, at the time of Company's closing operations in India in 1978, to fulfil its financial obligations towards the employees;

(b) whether it is also a fact that the trust money, which ran into over rupees one crore, has not been distributed to the employees as per stipulations made at the time of closure of Company's operations; and

(c) if so, whether Government propose to find out where and under whose charge the trust money is being kept and ensure that it is distributed as per the original stipulations?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JANARDHAN POOJARI): (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as it is received.

सिले-सिलाये कपड़ों का निर्यात

2243. श्री प्यारे लाल खंडेलवाल : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान सिले-सिलाये कपड़ों का कितना निर्यात किया गया ;

(ख) किन-किन देशों में उक्त प्रकार के कपड़ों का निर्यात किया गया और सबसे अधिक वस्त्र कौन-सा देश मगाता है; और

(ग) 1987 के वर्ष के लिए सिले-सिलाये कपड़ों के निर्यात का क्या लक्ष्य रखा गया है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) :

वर्ष	मात्रा करोड़ अदद में (अनन्तिम)
1984 . .	23.05
1985 . .	25.59

स्रोत—एईपीसी ।

(ख) जिन प्रमुख देशों को परिधानों के निर्यात किए गए उनमें शामिल है : यूरोपीय आर्थिक समुदाय, सं०रा० अमरीका, सोवियत संघ, जापान, कनाडा, स्विटजरलैंड तथा स्वीडन । परिधानों की अधिकतम मात्रा यूरोपीय आर्थिक समुदाय सदस्य देशों द्वारा आयात की गई थी ।

(ग) वर्ष 1986-87 के लिए सिले-सिलाये परिधानों के निर्यात के लिए अनन्तिम लक्ष्य 1200 करोड़ रु० है ।

Devaluation of Rupee

2244. PROF. C. LAKSHMANNA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under Government's consideration to devalue the Indian rupee;

(b) whether the World Bank or the International Monetary Fund made any suggestions in this regard; and

(c) if so, what is Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI

JANARDHAN POOJARI): (a) and (b) No, Sir.

(c) Does not arise.

जावरा शक्कर मिल, मध्य प्रदेश

2245. **श्री प्यारे लाल खंडेलवाल :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश की जावरा शक्कर मिल के सेवा निवृत्त कर्मचारियों को उनकी भविष्य निधि (प्रावीडेण्ट फण्ड) की रकम अभी तक प्राप्त नहीं हुई है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है और भविष्य निधि की रकम का भुगतान न करने के क्या कारण है ; और

(ग) क्या जावरा शक्कर मिल के किसी श्रमिक संगठन से उक्त विषय में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) भविष्य निधि प्राधिकारियों के अनुसार, मै० जावरा शक्कर मिल कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त प्रतिष्ठान था । उनकी छूट को 1-7-1981 से रद्द कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने पहली जमा राशि को पूर्णत. अंतरित नहीं किया है । उन्होंने अपने कर्मचारियों के संबंध में अद्यतन भविष्य निधि लेखा विवरण भी नहीं भेजा था । अत: इस मिल के 160 भूतपूर्व कर्मचारियों को उनकी जमा राशियों में से उन्हें 65 प्रतिशत राशि देकर उनके लेखों का आंशिक हिसाब चुका दिया गया था । इस मिल ने अब छूट रद्द हो जाने की तारीख की स्थिति के अनुसार अलग-अलग कर्मचारियों के पहले के लेखा विवरण प्रस्तुत कर दिए है और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की विशेष आरक्षित निधि में से कर्मचारियों के अंशदान के हिस्से की बकाया राशि का भुगतान करने के लिए कार्रवाई की जा रही है । नियोजकों से पिछली जमा राशियों की वसूली के बाद नियोजकों के अंशदान के हिस्से की शेष राशि का भुगतान कर दिया जाएगा ।

(ग) जी, हां । चीनी मजदूर यूनियन, जावरा से एक पत्र प्राप्त हुआ था तथा उन्हें इस मामले में की गई कार्रवाई की सूचना देते हुए उत्तर भेज दिया गया है ।

एल० डी० टेक्सटाइल्स, अंकलेश्वर द्वारा सीमा शुल्क की चोरी

2246. **श्री चिमनभाई मेहता :**
श्री रामसिंहभाई पातलीया-भाई राठवा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीमा-शुल्क विभाग ने हाल ही में अंकलेश्वर स्थित एल० डी० टेक्सटाइल्स के मालिक एवं उद्योगपति, श्री योगेश मेहरा के खिलाफ 20 करोड़ रुपये के सीमा-शुल्क की धोखा-धड़ी और 9 करोड़ रुपये के आयात किये गये माल में अंतर्ग्रस्त होने के आरोप में कुछ कार्यवाही की है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उनके घर, आफिस और गोडाउन में छापा मारकर या तलाशी लेकर कुछ सामान जब्त किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) मैसर्स एल० डी० टैक्सटाइल्स, अंकलेश्वर पर अग्रिम लाइसेंस स्कीम के तहत पालियस्टर स्टेपल फाइबर के आयात के सम्बन्ध में 16 करोड़ रुपये की राशि के सीमा-शुल्क का अपवंचन किए जाने का संदेह है। मैसर्स एल० डी० टैक्सटाइल्स के मुख्य कार्यकारी श्री योगेश मेहरा को